

Date: 17th May, 2024

To,
The Listing Department
BSE Limited
Department of Corporate Affairs
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

To,
The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Publication regarding the 01/2024-25 Extra-Ordinary General Meeting to be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).

Reference: ISIN - INE337M01013; Scrip Id-533676; Scrip Code-INDOTHAI

With reference to aforesaid subject matter and pursuant to Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and pursuant to General Circular Nos. General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020 and 17/2020 dated 13th April, 2020 and subsequent circulars issued in this regard and the latest being 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, please find enclosed herewith extract of Newspaper Publication regarding the **01/2024-25 Extra-Ordinary General Meeting** of the Company to be held on **Friday, 07th June, 2024 at 04:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing (“VC”)/ Other Audio Visual Means (“OAVM”) published on 17th May, 2024 in the following newspapers:

1. Choutha Sansar - Indore Edition
2. Free Press Journal - Indore Edition

You are requested to please take the same in your record.

Thanking you,

Yours truly,

For Indo Thai Securities Limited

Shruti Sikarwar

(Company Secretary cum Compliance Officer)

Membership No.: A61132

एक नजर

कट्टे के साथ पकड़ाया बदमाश

इंदौर। आजाद नगर पुलिस ने एक बदमाश को देरी कट्टे के साथ पकड़ा है। नेमावर रोड पर वह वाद्ययंत्र की नींव से घुस रहा था। आजाद नगर थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक संजय चौहान को कल सूचना मिली कि छोटी लखानी के पास नेमावर रोड पर एक बदमाश हरियार लेकर घूम रहा है, तुरंत ही सूचना के आधार पर उस युवक की घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम विजय निवासी गुवागरी बताया। तलाशी में उसके पास से एक देरी कट्टा मिला है, उससे पूछाच जाती है।

पति पत्नी ने पड़ोसी को मारा चाकू

इंदौर। नल्हार पलटन में पड़ोसियों के बीच कल मामूली बात पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मारा पीटा। एक पक्ष ने पड़ोसी दंपति पर चाकू मारने का भी आरोप लगाया है। नल्हारनगर थाने में एक पक्ष से फरियादी शबीना बी पति मोहम्मद बाबर की शिकायत पर आरोपी शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वहीं दूसरे पक्ष से शकील की शिकायत पर बाबर और उसकी पत्नी सबीना को मुलाजिम बनाया है। शकील का आरोप है शबीना और बाबर ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे चाकू भी मारा है। वहीं सबीना ने शकील पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल बाबर के लड़के ने ऊपर से थूक दिया था इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष अपने-अपने हो गए फिर थाने भी पहुंचे।

बर्थडे बॉय और साथियों का उत्पात

इंदौर। खजुराना इलाके में एक युवक और उसके साथियों ने पड़ोसी के घर पर हमला कर पत्थर बरसाए। दरअसल आरोपी और उसके दोस्त बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, वह पटाखे फोड़ रहे थे, पड़ोसिन ने इसी बात को लेकर आपत्ति ली थी। खजुराना थाने में फरियादी किर्ती युवकी पिता निखिल निवासी गुरु नानक नगर की शिकायत पर आरोपी शिवम गढ़वाल, उमेश गढ़वाल और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फरियादी किर्ती ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसके घर के सामने पटाखे फोड़ कर जन्मदिन मना रहे थे, जिसे कार्टू से विमर्शित उड़ रही थी। फरियादी की मां ने इसी बात को लेकर आपत्ति ली और जन्मदिन मना रहे लड़कों को ऐसा करने से मना किया तो आरोपी नाराज हो गए। उन्होंने गालियां देते हुए मारपीट की और जमाकर पत्थर बरसाए। पत्थरों से घर में रखे सामान एवं वाहन को नुकसान भी हुआ।

अलग रहने वाला पति रास्ते में मिला तो किया विवाद

इंदौर। खजुराना पुलिस को शवनाम उठाने वाली निवासी नाहरशाह नगर से शिकायत दर्ज करवाई कि वह जब गांधी बाग सब्जी मार्केट से सब्जी लेकर घर जा रही थी तभी झालरिया रोड पर फरियादी का पति मिला और कहने लगा मेरे मकान से निकल जाओ, फरियादिया अपने पति से अलग रहती है, कल जब पति रास्ते में मिला तो विवाद कर मारपीट करने लगा।

चोरी की शंका में नौकरानी को जमकर पीटा

इंदौर। तिलक नगर पुलिस ने एक दंपति के खिलाफ उनकी नौकरानी की शिकायत पर बंधक बनाकर मारपीट करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तिलक नगर पुलिस के अनुसार फरियादी किर्ती कोशल निवासी गुरी देवकी की शिकायत पर आरोपी अश्विन पंचोली और उसकी पत्नी माही पंचोली दोनों निवासी परिवारिका नगर सहित उनकी परिवारिक सुनिता और के खिलाफ केस दर्ज किया। फरियादिया किर्ती ने पुलिस को बताया कि वह कल दोपहर माही पंचोली के घर काम के लिए गई थी, तभी उसका पति अश्विन पंचोली मिला। दंपति ने किर्ती को बुलाकर सीढ़ियों पर बैठाया और आरोप लगाया कि उनके घर से 300000 किर्ती ने चोरी की है। किर्ती ने इस बात से इन्कार करते हुए कहा कि वह पिछले डेढ़ साल से ईशानवती से काम कर रही है, किसी चीज की उसने चोरी नहीं की है, इतना सुनते ही आरोपी दंपति ने किर्ती के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाली सुनिता और अर्पिता ने एक कमरा पर किर्ती से लिखवाया की 10 दिन में पैसा लौटा देनी और जबदस्ती दस्तखत करवाए। साइन न करने पर जान से मारने की धमकी दी।

मोबाइल छीनकर माग रहे बाइक सवार कार से टकराकर गिरे

इंदौर। हाल ही में तिलक नगर थाना क्षेत्र के पिपलवाहन ब्रिज पर बाइक सवारों ने रात चलते युवक का मोबाइल छीन लिया। पुलिस को फरियादी रवींद्र पिता श्रीराम कुहारे से शिकायत दर्ज करवाई कि बाइक सवार तीन युवक ने कारगिरी कर मेरा मोबाइल हाथ से छीन लिया और माग निकट तो मेरी युवकों का पीछा किया, तीनों युवक कान्हापुर रोड पर एक कार से टकराकर नीचे गिर गए। युवकों से फरियादी भी टकराकर गिर गया। जिसके बाद फरियादी ने एक युवक को पकड़ लिया तो दूसरे दोनों युवक ने पिस्तौल निकाल हावर्ड फायर किया, इसके दौरान वे दोनों हाथ से भाग निकले। पुलिस ने पकड़ाए हुए युवक से पूछाच की तो युवकों के नाम अनिल उर्फ कल्लू। पिता शंकरलाल निवासी विहार नगर, अश्विन पंचोली निवासी नरूप नगर और धीरज धनोरे निवासी गुवागरी बताए गए।

युवती से अश्लील हरकत पर निकाला जुलूस

पहले कॉलेज के समीप और फिर थाना पर हुआ हंगामा

इंदौर। राऊ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आईआईएम कॉलेज क्षेत्र में कल देर रात हंगामा की स्थिति खड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि प्रांटी का कार्य करने वाले सलमान खान दूसरे वर्ग की युवती को लेकर यहां पहुंचे और अश्लील हरकत करने लगे। इस पर वहां रहने वाले लोगों ने हिन्दूवादियों को इसकी सूचना दी। तत्काल बजरंगी और रहवासी एफएनटी ने उससे कार चढ़ाने की कोशिश भी की। बजरंगियों ने पीछा कर राऊ मार्गवेस्ट के समीप

सलमान की कार को रोका और कार में तोड़फोड़ भी कर दी। वहीं बड़ी तादाद में हिन्दूवादी और रहवासी भी पहुंच गए और सलमान की पिटाई करते हुए रास्ते में जुलूस निकालते हुए उसे राऊ थाना ले गए। थाना पर भी हंगामा खड़ा किया गया व नरेशजी भी हुई। लोगों का आरोप था कि सलमान प्रांटी कार्य के बहाने नौकरी दिलाते के नाम पर दूसरे वर्ग की लड़कियों से तालमेल करता है। कुल मिलाकर पहले कॉलेज परिसर और फिर राऊ के मार्केट परिसर और फिर थाना तीन जगह हंगामा हुआ और सलमान की पिटाई भी हुई। बाइक चालक की शिकायत पर सलमान खान निवासी नरमदा नगर राऊ के खिलाफ पुलिस ने कारवाई की है।

घरवालों पर चिल्ला रहा था, पड़ोसी ने पीट दिया

इंदौर। खजुराना थाना क्षेत्र के धीरज नगर में पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। पुलिस को रघुवीर चौपड़ा ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह अपने घर में घरवालों पर चिल्ला रहा था तभी पड़ोस में रहने वाले राजकुमार सोनी, गौरव सोनी और जाग्रत सोनी आर और चिल्लाने की बात पर विवाद करने लगे। फरियादी ने कहा कि मैं अपने घरवालों पर चिल्ला रहा हूँ तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, इसी बात पर तीनों ने फरियादी के साथ मारपीट की और मोबाइल भी फोड़ दिया।

इंदौर। इंदौर के एरोडम इलाके में रहने वाले एक युवक ने पत्नी, साले और सास का नाम लिखकर सुसाइड कर लिया था। मामले में पुलिस ने एक साल बाद तीनों को आरोपी बनाया है। पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी करेगी। एरोडम पुलिस के मुताबिक रूपेश गोहर निवासी विद्या पैलेस ने 10 जून 2023 को जहर खा लिया था। उसे परिवार के लोग उपचार के लिए एमवाय लेकर पहुंचे थे। यहां उसकी मौत हो गई। जांच में एक सुसाइड नोट

सामने आया था। उसमें लिखा था कि मैं रूपेश ऋषि अपनी पत्नी रोहणी, उसकी मां निर्मला करोसिया और उसका भाई राहुत करोसिया से परेशान होकर सुसाइड कर रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार ये तीनों हैं। इसके बाद परिवार के लोगों के बयान लिए गए। जिसमें भाई राजा पैवाल और रूपेश की मां मंगल के बयानों में सामने आया कि छोटी छोटी बात को लेकर आए दिन पत्नी रोहणी विवाद करती थी।

इंदौर जिला पांचवें राष्ट्रीय वाटर अवार्ड के लिए चयनित

जल संरक्षण के संबंध में इंदौर जिले में किए गए कार्यों को सराहा

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। जल शक्ति मंत्रालय भारत शासन द्वारा पांचवें राष्ट्रीय वाटर अवार्ड के लिए प्राप्त नामांकों के परीक्षण उपरांत बेस्ट नॉमिनेशंस की शॉर्ट लिस्टिंग पश्चात वेस्टर्न जोन में तीन जिले ग्राउंड ट्रीथिंग के लिए चयनित हुए हैं, जिसमें मध्यप्रदेश के इंदौर एवं रतलाम तथा गुजरात का कच्छ जिला शामिल है। भारत शासन के अधिकारियों के दल द्वारा इंदौर जिले द्वारा प्रस्तुत नामांकन में उल्लेखित कार्यों का स्थल सत्यापन किया गया। दल में केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी के सहायक संचालक श्री सुनील शर्मा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के सैनियर साइंटिस्ट श्री चितरंजन बिस्वाल और भूवैज्ञानिक श्री के एल प्रदीप शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा 15 मई को इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एवं 16 मई को इंदौर शहर में जल संरक्षण एवं जल संबंधित कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया।



संरचनाओं में मई माह में भी पर्याप्त पानी है। ग्रामीण जन द्वारा दल को ग्राम में निर्मित संरचनाओं से मिलने वाले लाभ से अवगत कराया गया। दल द्वारा जल संबंधित कार्यों से ग्रामों में किसानों द्वारा किए जा रहे सब्जी उत्पादन गतिविधि का निरीक्षण किया गया जल संरक्षण हेतु निर्मित बोल्टर चेक गली प्लग, कन्ट्रू ट्रेच आदि संरचनायें भी देखी गईं। दल द्वारा ग्राम पंचायत मलेडी के ग्राम बुजुर्ग में सीरिज में निर्मित 5 चेक डैम एवं 3 तालाबों का निरीक्षण किया गया। सभी

किये गए चेकडैम के 12 कार्यों का अवलोकन किया गया। उक्त दोनों ग्रामों में चेक डैम निर्माण एवं जीर्णोद्धार के 12 कार्यों से पूरी नदी में पानी का प्रवाह आज भी जीवित है एवं कैचमेंट में किये गए जल संरक्षण के कारण नीचे बामणिया कुंड जलप्रपात में अभी भी पानी का झरना गिर रहा है। केंद्रीय शासन के अधिकारियों द्वारा ग्राम बड़िया एवं मलेडी में नखराली एवं लखेरी नदी पर श्रृंखला में निर्मित और जीर्णोद्धार

फलोद्यान के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। तत्पश्चात ग्राम सिमरोल के आईआईटी परिसर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित अमृत सरोवर एवं पुष्कर धरोहर तालाब का निरीक्षण किया गया। आईआईटी द्वारा अपने साधन से निर्मित दो अन्य तालाब को भी देखा गया। पठार पर अहिल्याकालीन बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य का भी अवलोकन भ्रमण कर्ता दल द्वारा किया गया। दल के साथ इंदौर के जल संवर्धन विशेषज्ञ श्री एमजी सुरेश, इंदौर जिला पंचायत के उपायुक्त श्री अनिल पवार, सहायक यंत्री श्री देवेंद्र अग्रवाल, श्री हेमंत घोष, उपायंत्री श्री प्रकाश पाटीदार भी उपस्थित थे।

देखा गया। एसटीपी से ट्रीटेड जल के पुनर्उपयोग हेतु नगर निगम द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन नेटवर्क, जल वितरण हेतु हाइड्रेंट एवं पानी संग्रहण की ओएचटी टैंक का निरीक्षण भी दल ने किया। दल द्वारा अनुराधा नगर के बस्ती का भ्रमण कर प्रत्येक घर में किए गए रूपवाटर हार्वीस्टिंग कार्य एवं नगर निगम द्वारा भूजल के मापन के लिए स्थापित पिजोमीटर संयंत्र का भी अवलोकन किया गया। तेजाजी नगर बाईपास के समीप बिलावली तालाब को चैनल में किए गए ट्रेचिंग कार्य को भी देखा गया। नगर निगम क्षेत्र में भ्रमण के दौरान इंचार्ज अभियंता श्री आकाश जैन, सहायक यंत्री श्री देवेंद्रा श्री आंगारिक चैरिटेबल ट्रस्ट की जल संरक्षण कार्यों की पूरी टीम भी उपस्थित थी। भ्रमण के पश्चात जिले के मूल्यांकन कर्ता दल द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन से भेंट कर उन्हें जिले के दो दिन में देखे गए कार्यों के संबंध में दल के ऑब्जरवेशन से अवगत कराया एवं जिले में जल संरक्षण के संबंध में किए गए कार्यों को उपायोगी बताया।

दो भाइयों ने ले ली युवक की जान

पार्टी मनाकर लौट रहे युवक की हत्या

इंदौर। एरोडम इलाके में कल देर रात एक युवक को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। वह पार्टी मनाकर लौट रहा था, बताया जा रहा है पार्टी में ही झगड़ा हुआ था। एरोडम थाना प्रभारी राजेश साहू के अनुसार मुतक का नाम सुरेंद्र पिता रामसिंह कुशवाह निवासी रुक्मिणी नगर है। मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी श्वेता की शिकायत पर आरोपी नीरज पिता बद्रिनाथ पांडे, उसके भाई धीरज पांडे और संजू उर्फ संजय पिता कैलाश निवासी अशोकनगर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हिरासत में भी लिया गया है।

लगाता था। उसके परिवार में बेटा, बेटी, पत्नी के अलावा छोटा और बड़ा भाई और माता-पिता है। बताया जा रहा है सुरेंद्र कल रात किसी के साथ पार्टी में था। इस दौरान आरोपियों से उसका विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच पहले से भी वाद विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है सुरेंद्र संजू नामक युवक के साथ पार्टी में गया था। दोनों ने पार्टी भी की थी, पार्टी से लौटते समय सुरेंद्र को आरोपियों ने घेर लिया और चाकू से गोद दिया। इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने देर रात दो आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है।

अपहर कर रेप के मामले में केस दर्ज

इंदौर। आजाद नगर पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर शाहस्थल स्थान के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर पिछले दिनों थाने पर प्रदर्शन भी हुआ था। आजाद नगर पुलिस के अनुसार एक युवती की शिकायत पर आरोपी शाहस्थल स्थान पिता वांद खान निवासी शिवनगर गुवागरी के खिलाफ अपहरण। रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता को बर्ला फुलालाकर आरोपी ने उसका अपहरण किया और उसके साथ कई बार जोर जबर्दस्ती की, विधेय किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पिछले दिनों पीड़िता सामाजिक संगठन के लोगों के साथ थाने पहुंची थी।

शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करी थी 5 लाख रुपए की मांग और ले लिए थे 3 लाख

इंदौर। शहर में लोगों के साथ धोखाधड़ी और ठगी के अपराधों पर अंकुश लगाने और इस प्रकार के अपराधों में लगे बदनशों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त जोन 01 नगरिय इंदौर श्री विनोद कुमार मीना के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 01 श्री आलोक शर्मा व सहायक पुलिस आयुक्त गांधीनगर रुबीना मिजवानी के दिशा निर्देशन में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना राऊ ने शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर, धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी करने वाला शांतिर ठग को पकड़ा गया है। पुलिस थाना राऊ पर फरियादी मनोहर पिता भेरूलाल सांखला

निवासी मुखेड़ा मेन रोड देपालपुर के पास इंदौर ने पर रिपोर्ट लिखाई की अनावेदक संकल्प सक्सेना निवासी भोपाल ने खुद का बड़े बड़े लोग और राजनितिक लोगो के साथ उठाना बैठना तथा हर सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी लगवाता हूँ आदि बयाने बताकर। बेटे की नौकरी लगवाले के लिये 5 लाख रुपये लगना बताया। फिर मैंने मेरे लड़के करण सांखला की नौकरी लगाने के लिये दिनांक 10.05.2024 को तीन लाख रुपये संकल्प सक्सेना को दे दिया दो लाख रुपये आज पणपया ट्री होटल राऊ पर देना तय हुआ था।

संकल्प सक्सेना पर हमे शंका हुई तो हमने संकल्प सक्सेना की जानकारी निकाली तो पाता चला की यह ऐसी ही बड़ी बड़ी बात कर जरूरतमंद लोगो से बेईमानी पूर्वक धोकाधड़ी कर रुपये प्राप्त कर लेता है। आज पणपया ट्री होटल पर हमने संकल्प सक्सेना को रुपये देने से मना कर दिया और एडवांस रुपये दिये हुए वापस मांगे तो धमकाने लगा और अपना रसुख दिखाकर बूटे केस मे जिंदगी भर जेल भिजवाने की धमकी देने लगा, तो हमने पुलिस से संपर्क किया।

इन्डो थाई सिक्वोरिटीज लिमिटेड
CIN : L67120MP1995PLC008959
पंजीकृत कार्यालय : "केपीटल टॉवर", दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 169ए-171, पी. यू. -4, क्लॉस नं. 54, इन्दौर - 452010 (म.प्र.)
फोन : 0731-4255800
ईमेल : indothai@indothai.co.in वेबसाइट: www.indothai.co.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम से आयोजित होने वाली असाधारण सामान्य बैठक ('ईजीएम') की सूचना

पुनर् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि **इन्डो थाई सिक्वोरिटीज लिमिटेड** ('कंपनी') की असाधारण सामान्य बैठक ('ईजीएम') शुक्रवार, 07 जून 2024 को शाम 04:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम ('VC/OAVM') से ईजीएम सूचना पत्र में दिए गए व्यवसायों को निर्धारित करने के लिए आयोजित की जायेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 17/2020 और दिनांक 5 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 20/2020 और दिनांक 13 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021 को जारी परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021 को जारी परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 05 मई 2022 को जारी परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 को जारी परिपत्र संख्या 10/2022 के बाद परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 एवं मासिक प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा दिनांक 12 मई 2020 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79, दिनांक 15 जनवरी 2021 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11, दिनांक 13 मई 2022 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2022/62, दिनांक 05 जनवरी, 2023 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PD-2/P/CIR/2023/4, के बाद 08 अक्टूबर 2023 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 जो एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना VC/OAVM के माध्यम से ईजीएम की अनुमति देते हैं, के अनुसार मैंने ईजीएम को VC/OAVM से आयोजित किया जायेगा। सदस्यों को प्रत्येक डिवाइस/सॉफ्टवेयर (हार्डवेयर) लिमिटेड (सीडीएएलएल) द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटबर्ग के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जायेगी। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार मैंने ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उन सभी शेयरधारकों को भेजी जायेगी, जिनके ईमेल पता कंपनी/डिवाइसिटी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है। यदि आपने कंपनी/डिवाइसिटी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया आप अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए नीचे दिये गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक पद्धति	भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपना ई-मेल कंपनी/ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास रजिस्टर नहीं करवाया है, ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वह कंपनी/ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को ई-मेल द्वारा अनुरोध कर इसे अपडेट करवाये, साथ ही फार्म ISR-1 में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि के साथ फोटिलियों नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (कॉट एड वेक) की रकून कॉपी, पैन कार्ड और शेयरधारक के पते के प्रमाण हेतु इलाहिया लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड या पासपोर्ट में से किसी एक की स्कन-प्रमाणित कॉपी के साथ अनुरोध करें।
--------------	--

डीमैट पद्धति

कृपया अपने डिवाइसिटी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करें और आपके डीपी द्वारा बताए निर्देशों का पालन कर अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। सदस्य ध्यान दे कि ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.indothai.co.in और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लि. की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की वेबसाइट www.nseindia.com एवं ईजीएम की सूचना सीडीएएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी। सदस्यों को ईजीएम सूचना में बताए गए कारोबार पर ईजीएम से पहले रिपोर्ट ई-वोटिंग माध्यम से और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतदान का उपयोग करने का अवसर उपलब्ध कराया जायेगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले और दिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपनी ईमेल आई डी को पंजीकृत नहीं किया है उनके लिए ईजीएम से पहले तथा ईजीएम के दौरान रिपोर्ट ई-वोटिंग करने के लिए विस्तृत सूचना को ईजीएम सूचना में उपलब्ध कराया गया है। उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एम.सी.ए. परिपत्र और सभी परिपत्र के अनुसार पालन में है।

निवेशक मंडल के आदेशानुसार फार इन्डो थाई सिक्वोरिटीज लिमिटेड
हस्ताक्षर
शुक्ति विश्वकार
कम्पनी निवेशक से अनुपालन अधिकारी
(भेयरमैरजर नं. फ6113)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मैंने अपना नाम जितेश पंकज पाल से परिवर्तित करके जितेश पाल पिता पंकज पाल रख लिया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम जितेश पाल से जाना व पहचाना जाये। जितेश पाल पिता पंकज पाल पत्ना-202, ब्लाक बी ब्लीफटन पार्क कबीरखेड़ी, इन्दौर (म.प्र.) फोन-452010

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पूर्व में मेरा नाम मेहराज बानो (Mehraj Bano) पति असगर अहमद (Asghar Ahmed) था। अब मेरा नाम मेराज बानो (Meraj Bano) पति असगर अहमद (Asghar Ahmed) हो गया है। पता: - मकान न 765/2 वार्ड नंबर 13, नियर आयशा मस्जिद आजाद नगर, एमार्गिड म.प्र. बुरहानपुर, (म.प्र.)

न्यायालय तहसीलदार, तहसील निचौलीहसी जिला इन्दौर

(प्रशासनिक संरक्षण कक्षा क्रमांक जी-09)
क्रमांक 249 /01/2024
दिनांक 15/05/24
प्र.क्र. 139/08-ए/24-25
उद्घोषणा
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है अतिरिक्त अप्रति पत्र संख्या एन केडी वी-501 कम्प्यूटरी केस विना नो नोबलर डूअर नो-डूअर प्र-प्रायस बिलिंग 1959 की धारा 109-110 के अन्तर्गत अतिरिक्त पत्र प्रस्तुत कर नाम बदलिका/नियम नियम नं. 288/21, 288/1/2 रकम 0.607, 1.012 इन्स्ट्रुमेंट फीस पर अन्वयेक श्रेणी का नाम पति व. श्री देवेन्द्र चेलवाना व अन्य के स्थान पर राजस्व रिवाइज में नामांतरण किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त संबंध में निम्न किस्की न्यूनतम या संबंध को अंतिम हो कर दिनांक 29/05/24 तक अपनी आवसी स्थिति व अपने अधिकाधिक के मापन से इलेक्ट्रॉनिक न्यायालय में जॉर्नल ऑफ रजिस्ट्रार कर बनाना है। अतिरिक्त अप्रति होने के ऊपर उक्त अंतिम या निम्न विवरण नहीं किया जायेगा। अतः इतिदिनांक को ही इत्यन्तर एवं न्यायालय की उम्र से जारी 15/5/24 तहसीलदार तहसील निचौलीहसी, इन्दौर

NAME & DOB CHANGE

I, Smt. Madhugandha wife of No. 14349583M Ex-Hav. Name - Vijay Kumar resident of village & post - Dhamnod, Tehsil - Dharampur, District - Dhar (MP) Pin - 454552 have changed my name from Madhugandha to Madhu Sharma and my correct DOB is 13.05.1961 vide MP Govt. Affidavit No. 19974/24 dated 15.05.2024 before district court Indore (MP) Pin - 452001

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम गोपाल पिता काठूराम था जो कि मेरे दस्तावेजों में दर्ज है। परन्तु अब मेरा नाम बदलकर गोपाल पाटीदार पिता काठूराम पाटीदार हो गया है जो कि नया प्रचलित नाम है। एवं मेरे आधार कार्ड में दर्ज है। अतः भविष्य में मुझे नए नाम गोपाल पाटीदार से जाना व पहचाना जाए।

गोपाल पाटीदार पता- वार्ड नं. 5, ग्राम-परवलिया, तहसील- शंवाड़ा, जिला- झाबुआ(म.प्र.)457777

Change in Name

It is to bring kind notice to the people that my daughter previous name SHANAYA has been changed to SHANAYA SOMANI D/O SOURABH SOMANI Therefore, in future my daughter will be known by her new name only. SOURABH SOMANI ADD: C-145, BAKHTAWAR RAM NAGAR, INDORE(M.P.)

CHANGE IN NAME

I, Bhakti Patel, would like to inform that my old passport (before marriage) has my name Bhakti Vijaybhairu Dholu. After getting married with Nirghosh Patel, I have changed my name to Bhakti Patel. I would like to be named as Bhakti Patel as per my Aadhar card (No. 503859744061)

BHAKTI PATEL - 9109635585

Change in Name

I RAJANI JAIN W/O VIVEK JAIN, hereby declare that I have changed my name as RAJANI JAIN W/O VIVEK JAIN so from now and in future I will be known by my new name.

RAJANI JAIN W/O VIVEK JAIN ADD:- B-10, RATLAM KOTHI, NEAR GEETA BHAVAN SQUARE, INDORE(M.P.)452001

Name Clarification

I, MEGHA CHAUHAN, WIFE OF ADITYA SINGH CHAUHAN hereby solemnly affirm and declare that my father's name is VIKRAM SINGH SOLANKI as mentioned in my PAN card. I declare that both VIKRAM SINGH SOLANKI (mentioned in my 10th marks sheet) and VIKRAM SOLANKI (mentioned in my PAN card) are names of one and the same person i.e. my father.

MEGHA CHAUHAN, W/O ADITYA SINGH CHAUHAN, Add: G-135, NEAR AMBEDKAR PARK, NARMADA NAGAR, TEHSIL - PUNASA, DISTRICT, KHANDWA (M.P.) PIN - 450119

NAME CHANGE NOTICE

I, TAPASYA VISHWAKARMA, 563-A, Royal Krishna, Rangwasa, Indore, M.P., Indore have changed my name from TAPASYA VISHWAKARMA to TANISHKA VISHWAKARMA for all purpose & from now & in future I will be known by my New Name TANISHKA VISHWAKARMA

TANISHKA VISHWAKARMA 563-A, Royal Krishna, Rangwasa, Indore, M.P.

NAME & ADDRESS CHANGE

I, NASEEM ISMAIL BAIG (OLD NAME,) DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME AS 'NASEEM BAIG' (NEW NAME) ADDRESS IS H.NO. 12, WARD NO. 08, NAND COLONY GALI No.01, SENDHWIA DISTRICT BARWANI (MP), 451666 (NEW ADDRESS) SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME & ADDRESS.

NASEEM BAIG, H.NO. 12, WARD No.08, NAND COLONY GALI No.01 SENDHWIA, BARWANI (MP) 451666

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

Registered & Corporate Office :- 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Circle Office :- Capri Global Capital Limited 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi - 110060

DEMAND NOTICE Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The undersigned is the Authorised Officer of Capri Global Capital Limited (CGCL) Under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) as per to CGCL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further applicable interest from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to CGCL by the said Borrower(s) respectively.

Table with 4 columns: S.N., Name of the Borrower(s)/Guarantor(s), Demand Notice Date and Amount, Description of secured asset (immovable property). Contains 6 rows of borrower details and asset descriptions.

If the said Borrowers shall fail to make payment to CGCL as aforesaid, CGCL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of CGCL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Place :- INDORE (Madhya Pradesh) Date :- 17. MAY.2024 Sd/- (Authorised Officer) For Capri Global Capital Limited

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

Registered & Corporate Office :- 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Circle Office :- 9-B, 2nd floor, Pusa Road, Rajinder Park, New Delhi-110060

APPENDIX- IV-A (See proviso to rule 8 (6) and 9 (1))

Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 (6) and 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on dates below mentioned, for recovery of amount mentioned below due to the Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor from Borrower mentioned below. The reserve price, EMD amount and property details mentioned below.

Table with 4 columns: SR. NO., 1. BORROWER(S) NAME, 2. OUTSTANDING AMOUNT, DESCRIPTION OF THE MORTGAGED PROPERTY, 1. DATE & TIME OF E-AUCTION, 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD, 3. DATE & TIME OF THE PROPERTY INSPECTION, 1. RESERVE PRICE, 2. END OF THE PROPERTY INCREMENTAL VALUE. Contains 1 row of borrower details.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor's website i.e. www.caprihomefinance.com/auction

TERMS & CONDITIONS OF ONLINE E-AUCTION SALE:-

- 1. The Property is being sold on "AS IS WHERE IS, WHAT EVER THERE & WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities.
2. Particulars of the property / assets (viz. extent & measurements specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of information of the Secured Creditor and Secured Creditor shall not be answerable for any error, misstatement or omission. Actual extent & dimensions may differ.
3. E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the Secured Creditor and to conduct own independent enquiries /due diligence about the title & present condition of the property / assets and claims / dues affecting the property before submission of bids.
4. Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website https://sarfaei.auctiontiger.net Or Auction Tiger Mobile APP provided by the service provider M/S eProcurement Technologies Limited, Ahmedabad but shall arrange & coordinate the entire process of auction through the e-auction platform.
5. The bidders may participate in e-auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor /service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash, own, power failure etc.
6. For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider M/S E-Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger, Ahmedabad (Contact no. 079-88136880/68136837). Mr. Ramprasad Sharma Mob. 800-002-3297/79-6120-0559. Email: ramprasad@auctiontiger.net.
7. For participating in the e-auction sale the intending bidders should register their name at https://sarfaei.auctiontiger.net well in advance and shall get the user id and password. Intending bidders are advised to change their password immediately upon receiving it from the service provider.
8. For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable EMD of 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable by interested bidders through Demand Draft/NEFT/RTGS in favor of "Capri Global Housing Finance Limited" on or before 03-June-2024.
9. The intending bidders should submit the duly filled in Bid Form (format available on https://sarfaei.auctiontiger.net) along with the Demand Draft remittance towards EMD in a sealed cover addressed to the Authorized Officer, Capri Global Housing Finance Limited Regional Office Unit No. 101-103, First Floor, Plot No. 103/4, Krishna Tower, Scheme No. 140, Above ICICI Bank, Pipliyane Square Indore, Madhya Pradesh latest by 03:00 PM on 03-June-2024. The sealed cover should be super scribed with "Bid for participating in E-Auction Sale - in the Loan Account No. _____ (as mentioned above) for property of "Borrower Name.".
10. After expiry of the last date of submission of bids with EMD, Authorized Officer shall examine the bids received by him and confirm the details of the qualified bidders (who have quoted their bids over and above the reserve price and paid the specified EMD with the Secured Creditor) to the service provider M/S eProcurement Technologies Limited to enable them to allow only those bidders to participate in the online inter-se bidding/auction proceedings at the date and time mentioned in E-Auction Sale Notice.
11. Inter-se bidding among the qualified bidders shall start from the highest bid quoted by the qualified bidders. During the process of inter-se bidding, there will be unlimited extension of "10" minutes each, i.e. the end of time of e-auction shall be automatically extended by 10 Minutes each time if bid is made within 10 minutes from the last extension.
12. Bids once made shall not be cancelled or withdrawn. All bids made from the user id given to bidder will be deemed to have been made by him alone.
13. Immediately upon closure of E-Auction proceedings, the highest bidder shall confirm the final amount of bid quoted by him BY E-Mail both to the Authorised Officer, Capri Global Housing Finance Limited, Regional Office Unit No. 101-103, First Floor, Plot No. 103/4, Krishna Tower, Scheme No. 140, Above ICICI Bank, Pipliyane Square Indore, Madhya Pradesh and the Service Provider for getting declared as successful bidder in the E-Auction Sale proceedings.
14. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) within 24 hours of the sale, being knocked down in his favour and balance 75% of bid amount within 15 days from the date of sale by DD/PayOrder/NEFT/RTGS/Chq favouring Capri Global Housing Finance Limited.
15. In case of default in payment of above stipulated amounts by the successful bidder / auction purchaser within the stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid (including EMD) will be forfeited and the property will be again put to sale.
16. At the request of the successful bidder, the Authorised Officer in his absolute discretion may grant further time in writing, for depositing the balance of the bid amount.
17. The Successful Bidder shall pay 1% of Sale price towards TDS (out of Sale proceeds) (if applicable) and submit TDS certificate to the Authorised officer and the deposit the entire amount of sale price (after deduction of 1% towards TDS), adjusting the EMD within 15 working days of the acceptance of the offer by the authorized officer, or within such other extended time as deemed fit by the Authorised Officer, failing which the earnest deposit will be forfeited.
18. Municipal / Panchayat Taxes, Electricity dues (if any) and any other authorities dues (if any) has to be paid by the successful bidder before issuance of the sale certificate. Bids shall be made taking into consideration of all the statutory dues pertaining to the property.
19. Sale Certificate will be issued by the Authorised Officer in favour of the successful bidder only upon deposit of entire purchase price / bid amount and furnishing the necessary proof in respect of payment of all taxes / charges.
20. Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser.
21. The Authorized officer may postpone / cancel the E-Auction Sale proceedings without assigning any reason whatsoever. In case the E-Auction Sale scheduled is postponed to a later date before 15 days from the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of the service provider.
22. The decision of the Authorised Officer is final, binding and unquestionable.
23. All bidders who submitted the bids, shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the E-Auction Sale and be bound by them.
24. Movable Item (if any) lying in the property is not offer with sale.
25. For further details and queries, contact Authorised Officer, Capri Global Housing Finance Limited: Mr. Sandeep Dixit Mo. No. 8989694769 and for further inquiry Ms. Kalpana Chetanwaria-7738093346.
26. This publication is also 15 (Fifteen) days notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the above said loan account pursuant to rule 8(6) and 9 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, about holding of auction sale on the above mentioned date / place.

Special Instructions / Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Capri Global Housing Finance Limited nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements / alternatives such as back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

Place: BURHANPUR (Madhya Pradesh) Date : 17-MAY-2024 Sd/- (Authorised Officer) Capri Global Housing Finance Limited

Change in Name

I VIKASH MANOHAR RAO DALVI S/O MANOHAR RAO DALVI hereby declare that I have changed my name as VIKASH DALVI so, from now and in future I will be known by my new name. VIKASH DALVI Add: 49, UTKARSH STATE, NEAR ASHISH NAGAR, BANGALI SQUARE, INDORE(M.P.)452016

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मुकेश कुमार पाटीदार पिता राम रजन जी पाटीदार था जो कि मेरे दस्तावेजों में दर्ज है। परन्तु अब मेरा नाम बदलकर मुकेश पाटीदार पिता रामरजन पाटीदार हो गया है जो कि नया प्रचलित नाम है। एवं मेरे आधार कार्ड में दर्ज है। अतः भविष्य में मुझे नए नाम मुकेश पाटीदार से जाना व पहचाना जाए। मुकेश पाटीदार पता- 150, ग्राम- परवलिया, तहसील-शंवाड़ा, जिला- झाबुआ(म.प्र.)457777

Change in Name

I HANISHA JETHANAND PURSWANI D/O PURSWANI JETHANAND ASSANDAS Hereby Declare That after marriage I have changed My name as HANISHA PURSWANI ANGLANI W/O ROHIT ANGLANI so, from now and in future I will be known by my new name. HANISHA PURSWANI ANGLANI W/O ROHIT ANGLANI Add: E-15, HIG, LIG COLONY, INDORE(M.P.)452001

नाम परिवर्तन सूचना

मैं लता बाघवानी पूर्व श्री सुरेश बाघवानी स्वर्धामरण को सूचित करती हूँ कि मेरा पुराना नाम लता बाघवानी था जो मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे लता बाघवानी के नाम से जानी पहचानी एवं पुरानी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम लता बाघवानी के नाम से जानी पहचानी एवं पुरानी जाऊँगी। संदर्भ बाघवानी एवं लता बाघवानी मेरे ही नाम है अतः मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम बदना बाघवानी के स्थान पर लता बाघवानी लिखा एवं पत्र जारी आमजन एवं सर्वजन सूचित हो। पुराना नाम लता बाघवानी नया बाघवानी पता: 11 नंवा नगर इंदौर म.प्र. 452009

Change Name Notice

To be informed to the public that previously my name was TASNEEM Which is now changed to TASNEEM BADSHAH From now onwards I shall be known by this name only TASNEEM BADSHAH W/O SHABBIH HUSSAIN Add:103, QUTBI APPARMENT, 232 KHATIWALA TANK, INDORE(M.P.)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम विजय कुमार पाटीदार था जो कि मेरे दस्तावेजों में दर्ज है। परन्तु अब मेरा नाम बदलकर विजय पाटीदार हो गया है जो कि नया प्रचलित नाम है। एवं मेरे आधार कार्ड में दर्ज है। अतः भविष्य में मुझे नए नाम विजय पाटीदार से जाना व पहचाना जाए। विजय पाटीदार पता- रणछोडराय मंदिर के पास, ग्राम- परवलिया, तहसील- शंवाड़ा, जिला- झाबुआ(म.प्र.)457777

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर

(श्री रोशन राय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक - 109) प्रकरण क्रमांक/ /बी-121/2024-25 क्रमांक/1217/अकरी-4/2024 इन्दौर, दिनांक 14/05/2024 प्रति, विज्ञप्ति प्रकाशन

- 1. राजेंद्र सिंह किरार
2. रामभरोसे बाई किरार

दोनों का पता- 402 मेकस्टेल अपार्टमेंट 16/3 ओल्ड पलासिया म.प्र.

द्वारा: तहसील/सांवेर, राज/पंजीकृत, डाक/समाचार, विज्ञप्ति प्राथमि प्राधिकृत अधिकारी बंधन बैंक लिमिटेड पता-304-305, बी.एम.टावर, लोटस शोरूम के सामने सपना संगीता रोड, इन्दौर, म.प्र. द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति फ्लेट नं. T/B-304 जिसका -एएम शानशीला होम्स ग्राम दाबली जिला सांवेर, इंदौर, म.प्र. जिला कूल क्षेत्रफल 41.68 स्वचायर मीटर पर बकाया ऋण राशि 3,10,914.92/- का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहृत प्रवर्तन अधिनियम कि धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में राखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक-109 में दिनांक 24/05/2024 को दोपहर 03:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। (रोशन राय) अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर

Indo Thai Securities Limited

CIN : LG7120MP1995PLC008959 Regd. Off.: Capital Tower, 2nd Floor, Plot Nos. 169A-171, PU-4, Indore - 54, Indore - 452010 (M.P.) Tel.: (0731) 4255800 Website : www.indothai.co.in E-mail: indothaigroup@indothai.co.in

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING ("VC")/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

This is to inform that the Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Indo Thai Securities Limited ("the Company") will be held on Friday, 07th June, 2024 at 04:00 P.M. (IST), through Video Conference ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening the EGM.

The EGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022, Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 followed by General Circular No. 09/2023 dated September 25th, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, circular No. SEBI/HO/CFD/PO-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 followed by SEBI Circular No. SEBI/HO/DHS/P/CIR/2023/0164 dated 8th October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), permitting the holding of EGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue. Members will be provided with a facility to attend the EGM through electronic platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of EGM will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). If you have not registered your email address with the Company/Depository Participant(s) you may please follow below instructions for registering/updating your email addresses:

- Members holding shares in physical mode and who have not updated their email address with the company/RTA are requested to update their email addresses by email to Company/RTA along with the copy of the signed request letter in ISR-1 mentioning the name, folio number and address of the member, self attested copy of PAN Card and any other document (eg: Aadhar, driving license, election identity card, passport) in support of the address of the member.

Please update your email id with your respective Depository Participant (DP).

Members may note that the Notice of EGM will be available on the Company's website at www.indothai.co.in and website of the Stock Exchanges i.e. BSE limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The Notice of EGM will also be available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the business set out in the EGM Notice through remote e-voting/e-voting during the EGM. The detailed procedure of remote e-voting/e-voting during the EGM by members holding shares in physical mode and members, who have not registered their email id with the Company, is provided in the EGM Notice. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

By order of the Board For Indo Thai Securities Limited Sd/- Shruati Sikarwar (Company Secretary cum Compliance Officer) Date : 16th May, 2024 Place : Indore Membership No: A61132

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धार (म.प्र.) लोक सुनवाई के संबंध में आम सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं अद्यतन संशोधित के तहत सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा धार जिले की कुशी तहसील के लगभग 115 ग्राम तहसील गन्धर्वी के लगभग 98 ग्राम 01 झील एवं 33 ग्राम मनावर तहसील की कुशी भूमि लगभग 75,000 हेक्टर में पाईय लॉन के माध्यम से जल वितरण हेतु तहसील कुशी, जिला धार (म.प्र.) में उक्त परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 19.06.2024 दिनांक बुधवार को दोपहर 3.00 बजे से कार्यालय नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-16 कुशी, तहसील - कुशी, जिला- धार के परिसर में आयोजित की जाना नियत किया गया है, जिसमें सुझाव विचार, टीका टिप्पणी अथवा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यवाहक सार (सॉफ्ट कॉपी सहित) का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर, जिला धार लिखा जाय, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार, कार्यालय जयनर पंचायत-कुशी, झील, गन्धर्वी एवं मनावर जिला धार, कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्र (म.प्र.) ई-5 अंरा कॉलोनी, लिंक रोड-3, रीर शंकर नगर, पोपल, पृथ्वीव्यवस्था प्र.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5, अंरा कॉलोनी पोपल, क्षेत्रीय कार्यालय, धार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास भवन, सेक्टर 2 पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। उक्त परियोजना के कार्यवाहक सार की जानकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.mppccb.nic.in पर भी उपलब्ध है। जिसे किसी व्यक्ति को उक्त परियोजना के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव विचार टिका टिप्पणी अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना हो वह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर संबंधित विनियामक प्राधिकरण (Concerned Regulatory Authority) / क्षेत्रीय अधिकारी, धार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास भवन, सेक्टर 2, पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

FORM NO. [See Regulation 33(2)] By Regd. A/D, Dastil falling by 78929

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR

797/2, Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur - 482001

NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993

OAEX/338/2012 ARCIL Versus NEW TECH PIPE

To, 1) M/s. New Tech Pipes Ltd., Regd. Office at 2, Mahavir Nagar, Near Padmaja School, Devas (M.P.) and works at F/21-23, SEZ, Pithampur, Dhar (M.P.).

- 2) Shri Dinesh Sharma, S/o. Shri Hiralal Sharma, Resident of 2nd Mahavir Nagar, Near Padmaja School, Devas (M.P.)
3) Smt. Nisha Sharma, W/o. Shri Dinesh Sharma, Resident of 2nd Mahavir Nagar, Near Padmaja School, Devas (M.P.)
4) Shri Narayan Prasad Tekriwal, S/o. Late Shri L. R. Tekriwal, Resident of 21, Indravali Colony, Raipur (C.G.)
5) M/s. New Tech Abrasives Ltd., Regd. Office at D/59-61, SEZ, Pithampur, Dhar (M.P.)
6) M/s. Krishna Food & Beverages Ltd., Regd. Office at 2nd Mahavir Nagar, Near Padmaja School, Devas (M.P.)

Whereas you the was ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR who had issued the Recovery Certificate dated 02-11-2012 in 305/2011 to pay to the Applicant Bank(s) / Financial Institution(s) Name of applicant, the sum of Rs. 31,20,40,389.54p (i.e. Rs. 10,52,99,970.54p C/2(H) account and Rs. 20,67,40,419/- term loan account) with interest at 15% p.a. (0.25% above SBAR) with monthly rests from 04.10.2011 till full realisation and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / Immoveable property.

2. You are hereby informed that the 27-06-2024 at 10.30 A.M. has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

SPECIFICATION OF PROPERTY

- 1. Industrial Land and Building on Plot No. 59, 60 and 61, at SEZ, Industrial Area, Pithampur, Ward No. 20, Tehsil & District-Dhar (M.P.); area measuring 3000 sq.mtr.; property in the name of M/s. New Tech Abrasives Ltd., through Director- Shri Dinesh, S/o. Late Shri Hiralal Sharma.
2. Industrial Land and Building on Plot No. F-21, 22 and 23 at SEZ, Industrial Area, Pithampur, Ward No. 20, Tehsil & District-Dhar (M.P.); area measuring 10000 sq.mtr.; property in the name of M/s. New Tech Pipes Ltd., through Director- Shri Dinesh, S/o. Late Shri Hiralal Sharma.
3. Plant and Machinery of Abrasive Manufacturing Units situated at Plot No. 59, 60 and 61, at SEZ, Industrial Area, Pithampur, Ward No. 20, Tehsil & District-Dhar (M.P.) property in the name of M/s. New Tech Abrasives Ltd.
4. Plant and Machinery of Pipes Manufacturing Units situated at Plot No. F-21, 22 and 23 at SEZ, Industrial Area, Pithampur, Ward No. 20, Tehsil & District-Dhar (M.P.); property in the name of M/s. New Tech Pipes Ltd.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 08-05-2024.

Ms. Priti Desai Recovery Officer-II Debts Recovery Tribunal Govt. of India, Ministry of Finance, Jabalpur (M.P. & C.G. States) RECOVERY OFFICER, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.

Regd. Address: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat, Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013. Contact No. (022) 66699383. Branch Add:- 9/11, Suraj Bhawan, 2nd Floor, Above Yes Bank, M.G. Road, Indore 452001.

DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notice dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to as "Obligors"/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amount mentioned in the respective Demand Notice, within 60 days from the date of the respective Notice, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice(s), the amount indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obl